

न्यायालय उपजिल्हा नजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी

इस कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

तारीख क्रम

बनाम

मु. सं.

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर गैरसायलान सं. 1 लगायत 3 को वाद पत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम समलेटी तहसील महवा की आराजी ख.नं. 765 रकबा 0.16 हैक्टर में कोई नवीन रास्ता नहीं निकालें तथा मौके की स्थिति यथावत बनायें रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपजिल्हा अधिकारी

महवा जिल्हा दौसा